पंचायत आम निर्वाचन, 2026

अतिमहत्वपूर्ण

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या– प0नि0 30–13/2026......... 1890

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक– 07.05.2026

विषय :– पंचायत आम निर्वाचन, 2026–गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण निर्धारण हेतु **वर्ष 2006 में आवंटित आरक्षण श्रेणी** को आयोग के पोर्टल पर प्रविष्टि किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उर्पयुक्त विषयक संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2026 संपन्न कराये जाने हेतु त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी के सभी पदों पर निर्धारित आरक्षण की जांच सॉफ्टवेयर के माध्यम से किये जाने हेतु वर्ष 2006 एवं वर्ष 2016 में आवंटित आरक्षण श्रेणी को आयोग के पोर्टल पर प्रविष्टि किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु दिनांक–09.05.2026 को आयोग स्तर से प्रशिक्षण भी निर्धारित किया गया है।

विदित हो कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के क्रम में वर्ष 2016 में आवंटित आरक्षण श्रेणी की प्रविष्टि सभी जिलों द्वारा तत्समय आयोग के पोर्टल पर किया जा चुका है। अतएव मात्र वर्ष 2006 में सभी पदों पर आवंटित आरक्षण श्रेणी की प्रविष्टि आयोग के पोर्टल पर किया जाना है।

निदेशानुसार अनुरोध है कि **वर्ष 2006 में त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी के सभी पदों पर आवंटित आरक्षण श्रेणी को आयोग के पोर्टल पर त्रुटिरहित प्रविष्टि एवं आयोग द्वारा अनुमोदित आरक्षण के पी.डी.एफ. की प्रति दिनांक–30.05.2026 तक अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाए** जिससे त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी के सभी पदों पर निर्धारित आरक्षण का जांच सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराया जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/– 7/5/26

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

सं0सं0–प0नि0 30–13 / 2026.......1890 पटना दिनांक– 7.5.2026

प्रतिलिपि:–श्री राहुल गुप्ता, एस.ई.आर टीम, श्री आशीष गंगाडे, PMC VIGREOUS & Team एवं श्री नीतिश कुमार आई.टी. मैनेजर राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

सं0सं0–प0नि0 30–13 / 2026.......1890 पटना दिनांक– 07.05.2026

प्रतिलिपि:–सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

सं0सं0–प0नि0 30–13 / 2026.......1890 पटना दिनांक– 07.05.2026

प्रतिलिपि:–सचिव, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।